उत्पादक संगठनों का संवर्धन करने वाली संस्थाएं (पीओपीआई)/ Producer Organization Promoting Institutions (POPIs)

1. पीओपीआई गैर-सरकारी संगठन, ट्रस्ट, सहकारी संस्थाएं, कॉर्पोरेट के सीएसआर विंग/ विकास प्रतिष्ठान, राज्य सरकार के विभाग, नाबार्ड द्वारा संवर्धित सहायक संस्थाएं, कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), बड़े किसानों की उत्पादक कंपनियाँ, किसान संघ, कमोडिटी बोर्ड, सहकारी दुग्ध संघ और पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली अन्य अनुभवी संस्थाएं हो सकती है.

The POPI could be Non-Governmental Organizations, Trusts, Cooperatives, CSR Wings / Development Foundations of Corporates, State Govt. Departments, NABARD promoted Subsidiaries, KVKs, Big Farmer Producers' Companies, Farmer Federations, Commodity Boards, Co-operative Milk Unions and other experienced institutions meeting the eligibility criteria.

2. पीओपीआई की पहचान/ Identification of POPIs

i. संबंधित अधिनियम के तहत कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत.

Registered as a legal entity under the relevant Act.

ii. न्यूनतम 3 वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण.

Minimum 3 years' audited financial statements.

iii. नाबार्ड के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव.
Good track record and experience in the field of implementing NABARD programs.

iv. इसमें विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समर्पित और पेशेवर रूप से सक्षम कर्मचारी और पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं हैं.

It has requisite dedicated and professionally competent staff and adequate infrastructure facilities for carrying out the developmental works.

v. इसे किसी वित्त एजेन्सी/ बैंक/ सरकार/ अन्य एजेन्सी द्वारा काली सूची में न रखा गया हो.

It was not blacklisted by any funding Agency/ Bank/ Govt./Other Agency

vi. इसकी धनात्मक निवल संपत्ति है और किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए कोई चूक नहीं है.

It has positive net worth and no default to any financial institution

vii. पीओ/ प्राथमिक उत्पादकों को तकनीकी सहायता के आयोजन में इसकी पर्याप्त विशेषज्ञता है.

It has adequate expertise in organizing technical help to POs/ primary producers

viii. इसने बाजार लिंकेज के साथ व्यापार की सुविधा या बड़े पैमाने पर आजीविका गतिविधियों का प्रदर्शन किया है

It has demonstrated facilitation of business or large scale livelihood activities with market linkages

ix. यह नाबार्ड द्वारा निर्धारित रेटिंग मानदंडों और एक्सपोजर मानदंडों को पूरा करती हो.

It shall qualify the rating criteria and exposure norms devised by NABARD

3. उत्पादक संगठन संवर्धन संस्थानों (पीओपीआई) की भूमिका

Role of Producer Organization Promoting Institutions (POPIs)

पहचानी गयी/ चयनित पीओपीआई क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड के साथ करार निष्पादित करेंगी.

The identified/ selected POPI shall execute an Agreement with Regional Office, NABARD.

पीओपीआई की प्रमुख भूमिकाएं निम्नानुसार है:

The major roles of the POPI are as under:

i. वाटरशेड विकास परियोजनाओं, वाडी परियोजनाओं, मौजूदा किसान क्लबों, किसानों की सहकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), किसान हित समूहों, विशिष्ट कमोडिटी उत्पादन क्षेत्रों, आदि से संभावित पॉकेटों/ क्लस्टरों की पहचान करना.

To identify potential pockets/ cluster from Watershed Development Projects, Wadi Projects, existing Farmers' Club clusters, Farmers' Cooperatives, SHGs, JLGs, Farmer Interest Groups, specific commodity growing areas, etc.

ii. चयनित परियोजना क्षेत्र में नैदानिक और संभाव्यता अध्ययन करना एवं बेसलाइन सर्वेक्षण करना. फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन सहित कृषि और बागवानी उपज की मूल्य श्रृंखला में आवश्यक उपज और सामाजिक संस्कृतिक समानता, मौजूदा अंतर और संभावित गतिविधि, आधारभूत संदर्भ में सहयोग, सेवाएँ आदि का पता लगाने में किया जाता है; संभाव्यता अध्ययन का आयोजन आर्थिक रूप से संधारणीय एफ़पीओ के गठन हेतु एक उपयुक्त मामला (फिट केस) स्थापित करने के लिए किया जाता है; और संभाव्यता अध्ययन में मोटे तौर पर वित्तीय, तकनीकी, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक-संस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक और संसाधन और एकत्रीकरण के लिए छोटे/ सीमांत और भूमिहीन किसानों सहित खेती और संभावित किसानों की वर्तमान स्थिति से संबंधित डेटा उत्पन्न करने के लिए बेसलाइन मूल्यांकन जैसे पहलू को कवर करना चाहिए; और बेसलाइन मूल्यांकन संभावित सहयोगों हेतु न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र की पहचान करने, विकास और व्यवसायिक योजनाओं की योजना बनाने और परिवर्तन के योगदान को समझने के लिए मापने योग्य संकेतकों के माध्यम से भविष्य के परिणाम का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न कारकों को शामिल करेगा.

To conduct diagnostic and feasibility studies and undertake baseline survey in the selected project area. Diagnostic study is conducted to find out produce and socio-cultural similarity, existing gap and potential activity, interventions in terms of infrastructure, services etc. required in the value chain of agricultural and horticultural produce including post-harvest management and marketing; Feasibility study is conducted in order to establish a fit case for formation of an economically sustainable FPO; and feasibility study should broadly cover the aspect such as financial, technical, legal, political, socio-cultural, environmental, economic and resource; and baseline assessment to generate data related to the current prevailing situation of farming and potential farmers, including small/marginal and landless farmers, for aggregation; and baseline assessment will cover a variety of factors to identify the minimum geographical area for potential interventions, to plan development and business plans and to estimate future outcome through measurable indicators to understand the change contribution.

iii. प्राथमिक उत्पादकों के बीच जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें पीओ से जुडने के लिए प्रेरित करना.

To focus on awareness creation among the primary producers and motivate them to form / join a PO.

iv. शेयरधारक सदस्यों की नियमित मासिक बैठकें सुनिश्चित करना.

To ensure regular monthly meetings of shareholder members

v. पीओ के गठन के बाद पीओपीआई पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करके कंपनी अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा. अन्य प्रपत्र/ संविधियों के अंतर्गत संवर्धित एफपीओ नाबार्ड से वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं.

After formation of the PO, POPI shall start the process of registration under Companies Act or Cooperative Societies Act by obtaining necessary documents for registration. FPOs promoted under other forms/ statutes are not eligible for financial assistance from NABARD.

vi. पीओ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और बोर्ड के सदस्यों/ प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना.

To organise capacity building programmes for CEO and Board Members / Management of the PO.

vii. उत्पादकों का प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) करना और पीओ की वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, बाजार सहयोग और अन्य सहायता सुविधाओं का भी मूल्यांकन करना.

To undertake training need assessment (TNA) of the producers and also assess infrastructure requirements, market interventions and other support facilities necessary for financial sustainability of the PO.

viii. पीओ के दीर्घावधि व्यवसाय योजना हेतु सुविधा प्रदान करना.

To facilitate preparation of long term business plan of the PO.

ix. इनपुट की खरीद और बिक्री से निपटने और सदस्यों के उत्पाद के विपणन में पीओ को आवश्यक अनुमोदन/ अनुमति आदि प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना.

To facilitate the PO in obtaining necessary approvals / permissions, etc., in dealing with procurement and sale of inputs and in marketing of produce of the members.

x. संस्थागत ऋण सुरक्षित करने हेतु आवेदन/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर मार्गदर्शन प्रदान करना और व्यवसाय योजना के अनुसार क्रेडिट लिंकेज में पीओ को सुविधा प्रदान करना.

To facilitate the PO in credit linkages, as per the business plan, including guidance on preparation of loan application / detailed project report (DPR) for securing institutional credit.

xi. उत्पादकों के उत्पादन/ गुणवत्ता, आदि की प्रकृति के आधार पर ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज, निर्यात आदि सहित बाजार लिंकेज में पीओ को सुविधाजनक बनाना.

To facilitate the PO in market linkages, including online commodity exchanges, exports, etc., depending on the nature of the producers' output / quality, etc.

xii. पीओ सदस्यों की गतिविधियों आदि से संबंधित विभिन्न सरकारी सहयोगों के साथ अभिसरण हेतु पीओ का मार्गदर्शन करना और उन्हें सुविधा प्रदान करना.

To guide and facilitate the PO to have convergence with various Government interventions pertaining to POs, members' activities, etc.

xiii. समग्र, पीओपीआई को अभिशासन (गवर्नेंस) और प्रबंधन संरचना विकसित करनी होगी, एक सुदृढ़ व्यवसाय योजना तैयार करके पीओ का पोषण करना होगा, ऋण और मार्केट लिंकेज की सुविधा प्रदान करनी होगी और 5 वर्ष की अवधि के दौरान वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना होगी.

Overall, POPIs shall have to develop governance & management structure, nurture the PO by ensuring preparation of a sound business plan, facilitate credit and market linkages and

provide handholding support for attaining financial sustainability during the period of 5 years.